

विधि / LAW

प्रश्न-पत्र I / Paper I

निर्धारित समय : तीन घंटे

Time Allowed : **Three Hours**

अधिकतम अंक : **250**

Maximum Marks : **250**

प्रश्न-पत्र सम्बन्धी विशेष अनुदेश

कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें :

इसमें आठ प्रश्न हैं जो दो खण्डों में विभाजित हैं तथा हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में छपे हुए हैं।

परीक्षार्थी को कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य हैं तथा बाकी प्रश्नों में से प्रत्येक खण्ड से कम-से-कम एक प्रश्न चुनकर किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी प्राधिकृत माध्यम में लिखे जाने चाहिए, जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। प्राधिकृत माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।

प्रश्नों के उत्तरों की गणना क्रमानुसार की जाएगी। यदि काटा नहीं हो, तो प्रश्न के उत्तर की गणना की जाएगी चाहे वह उत्तर अंशतः दिया गया हो। प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

Question Paper Specific Instructions

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions :

There are **EIGHT** questions divided in **TWO SECTIONS** and printed both in **HINDI** and in **ENGLISH**.

Candidate has to attempt **FIVE** questions in all.

Questions no. **1** and **5** are compulsory and out of the remaining, any **THREE** are to be attempted choosing at least **ONE** question from each section.

The number of marks carried by a question / part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Attempts of questions shall be counted in sequential order. Unless struck off, attempt of a question shall be counted even if attempted partly. Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer (QCA) Booklet must be clearly struck off.

खण्ड A
SECTION A

Q1. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए :

Answer the following questions in about 150 words each :

10×5=50

- (a) समवर्ती सूची के ऐसे विषय-वस्तु, जिन पर संघ और राज्य दोनों के पास विधि बनाने की शक्ति है, वहाँ भारत का संविधान कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित करता है ? व्याख्या कीजिए।

Where does the Constitution of India vest executive power with respect to subject-matters in the Concurrent List over which both the Union and States have legislative powers ? Explain.

10

- (b) “यह प्रायः कहा जाता है कि उच्चतम न्यायालय ने एल. चन्द्र कुमार बनाम भारत संघ (1997) के निर्णय से प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना के लिए रेज़ोन डेब (वास्तविक कारणों) को व्यर्थ कर दिया है।” विवेचना कीजिए।

“It is often said that the decision of the Supreme Court in L. Chandra Kumar Vs. Union of India (1997) has defeated the very raison d’etre of establishing administrative tribunals in India.” Discuss.

10

- (c) उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति का निर्णीत वादों की सहायता से आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

Critically examine, with the help of decided cases, the power of the President to consult the Supreme Court.

10

- (d) यदि अनुच्छेद 21, व्यक्ति को गरिमायुक्त जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है, तो क्या यह जीवित नहीं रहने का अधिकार भी सम्मिलित करता है ? सांविधानिक उपबंधों का परीक्षण विनिर्णीत वादों की सहायता से कीजिए।

If Article 21 confers on a person the right to live a dignified life, does it also include a right not to live ? Examine the Constitutional Provisions with the help of decided case laws.

10

- (e) “शक्ति-पृथक्करण का सिद्धांत इसके श्रेष्ठ स्वरूप (ढाँचे के रूप) में किसी भी देश में लागू नहीं है।” इस कथन का कारणों सहित आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

“The doctrine of Separation of Powers in its classical structural form is not followed in any country.” Critically evaluate this statement with reasons.

10

- Q2.** (a) भारत में संसद के सदनों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ क्या हैं ? क्या विशेषाधिकार के उल्लंघन में उन्हें अपने सदस्यों को निष्कासित करने की शक्ति है ? यदि ऐसा है, तो क्या ऐसे निष्कासन न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन हैं ? विवेचना कीजिए।

What are the powers, privileges and immunities of Houses of Parliament in India ? Do they have the power to expel any of their members for breach of privileges ? If so, are such expulsions subject to judicial review ? Discuss.

20

- (b) “राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्त्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है।” निदेशक तत्त्वों को लागू करने में जिन विधियों को अधिनियमित किया गया है, उनका उदाहरण दीजिए।

“The Directive Principles of State Policy are fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the State to apply these Principles in making laws.” Illustrate the legislations, which have been enacted for the implementation of Directive Principles.

15

- (c) “संविधान सभा में यह दावा किया गया कि भारत के संविधान में, वास्तव में संविधान संशोधन के लिए एक बहुत ही ‘सुगम’ प्रक्रिया निर्धारित की गई है।” क्या आपको लगता है कि मूल ढाँचे का सिद्धांत अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत संशोधन शक्ति को काफी हद तक सीमित करता है ? विशदीकरण कीजिए।

“It was claimed in the Constituent Assembly that the Constitution of India has in fact, laid down a very ‘facile’ procedure for the amendment of the Constitution.” Do you think the Doctrine of Basic Structure significantly limits the amending power under Article 368 ? Elucidate.

15

- Q3.** (a) “किसी भी लोकतांत्रिक समाज में, प्रशासनिक कार्यवाही का न्यायिक पुनर्विलोकन, व्यवस्था की आत्मा है। इसके बिना लोकतंत्र तथा विधि का शासन बनाए नहीं रखा जा सकता है।” उदाहरण सहित समझाइए।

“In any democratic society, judicial review of administrative action is the soul of the system. Without it, democracy, and rule of law cannot be maintained.” Explain with example.

20

- (b) भारतीय संविधान के अन्तर्गत उन उपबंधों का परीक्षण कीजिए, जो संसद को सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की विषय-वस्तु पर विधि बनाने के लिए अधिकृत करते हैं।

Examine the provisions under the Indian Constitution that authorize the Parliament to legislate on the subject-matters of the State List of the Seventh Schedule.

15

- (c) “यह महत्वपूर्ण है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो।” संविधान और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपबंधों का परीक्षण कीजिए।

“It is significant that the State shall secure the operation of legal system to promote justice on the basis of equal opportunity.” Examine the provisions under the Constitution and Legal Services Authorities Act, 1987.

15

- Q4.** (a) राज्यपाल को जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दण्ड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दण्डादेश में निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति का परीक्षण कीजिए।

Examine the power of the Governor to grant pardons, reprieves, respites or remissions of punishment, or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offence against any law relating to a matter to which the executive power of the State extends.

20

- (b) संविधान के (चवालीसवें संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा भारत के संविधान के भाग XVIII में सम्मिलित आपातकालीन प्रावधानों में कौन-से महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं ? क्या ये संविधान के अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त हैं ? विस्तार से समझाइए।

What are the significant changes introduced by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978 to emergency provisions contained in Part XVIII of the Constitution of India ? Are they efficacious enough to prevent the possible abuse of power under Article 352 of the Constitution ? Elaborate.

15

- (c) “लोकपाल और लोकायुक्त की नींव भारतीय शासन की संस्कृति में है।” व्याख्या कीजिए कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013, लोक प्रशासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व, भारत और भारत के बाहर दोनों में सुनिश्चित कैसे करता है।

“Lokpal and Lokayukta have roots in Indian governance culture.” Explain, how the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 ensures transparency and accountability in public governance, both within and outside India.

15

खण्ड B

SECTION B

Q5. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए :

Answer the following questions in about 150 words each :

10×5=50

- (a) क्या आत्मरक्षा के लिए पूर्वानुमानित और पूर्व-प्रेरित बल का उपयोग संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 51 के अन्तर्गत अनुमत्य है ? विवेचना कीजिए।
Is anticipatory and pre-emptive use of force for self-defence permissible under Article 51 of the UN Charter ? Discuss. 10
- (b) “संयुक्त राष्ट्र की महासभा को विश्व संसद नहीं कहा जा सकता है।” इस संदर्भ में, महासभा की सीमाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
“The General Assembly of the United Nations cannot be called World Parliament.” In this context, critically analyse the limitations on the General Assembly. 10
- (c) राज्य उत्तराधिकार के विभिन्न सिद्धांतों और राज्य उत्तराधिकार से उत्पन्न होने वाले अधिकारों और कर्तव्यों की विवेचना कीजिए।
Discuss the different theories of State Succession and the rights and duties arising out of the State Succession. 10
- (d) अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की रोम संविधि “मानवता के विरुद्ध अपराध” को कैसे परिभाषित करती है ? समझाइए।
How does the Rome Statute of the International Criminal Court define “Crime against Humanity” ? Explain. 10
- (e) ‘सन्निहित क्षेत्र (कॉटिगुयस ज़ोन)’ क्या है ? इस विषय पर भारत की स्थिति की विवेचना कीजिए।
What is ‘Contiguous Zone’ ? Discuss the Indian position on this subject. 10

Q6. (a) अन्तर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा परिषद् की असफलता के अनेक कारण हो सकते हैं। इसका एक प्रमुख कारण इसका गठन और असंतुलित शक्ति गतिकी है। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

There may be various reasons for the failure of the Security Council of United Nations in maintaining international peace and order. One of the main reasons is its composition and imbalanced power dynamics. Critically analyse.

20

- (b) समुद्री विधि में निर्दोष मार्ग क्या है ? इस विषय में भारतीय स्थिति का परीक्षण कीजिए।

What is innocent passage on the Law of the Sea ? Examine the Indian position on this matter.

15

- (c) नए-उभरे राज्यों द्वारा क्षेत्रीय संप्रभुता के अर्जन के सिद्धांतों का परीक्षण कीजिए।

Examine the principles of acquisition of territorial sovereignty by newly emerged states.

15

- Q7.** (a) 'राष्ट्रीयता' की परिभाषा, अर्थ और राष्ट्रीयता को अर्जित किए जाने के तरीकों का परीक्षण कीजिए। राष्ट्रीयता और नागरिकता के मध्य विभेद भी कीजिए।

Examine the definition, meaning of 'Nationality' and modes of acquisition of nationality. Also, make a distinction between Nationality and Citizenship.

20

- (b) संधियों के कानून पर वियना कन्वेंशन, 1969 के अन्तर्गत किसी संधि पर आरक्षण में राज्य पक्षकारों के अधिकारों की विवेचना कीजिए। इस प्रकार के आरक्षणों के विधिक परिणाम क्या हैं ? व्याख्या कीजिए।

Discuss the right of the State parties to formulate reservations to a treaty under the Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969. What are the legal effects of such reservations ? Explain.

15

- (c) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विधियों के अन्तर्गत 'सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र' और 'राष्ट्रीय उपचार' के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। क्या विश्व व्यापार संगठन के सदस्य राज्य के लिए विश्व व्यापार संगठन के अन्य सदस्य राज्यों पर विभिन्न (प्रति परवाही) शुल्क की अलग-अलग दरें लागू करना अनुमत्य है ? क्या उच्च शुल्क से प्रभावित सदस्य राज्य विश्व व्यापार संगठन के विवाद समाधान संगठन के साथ शिकायत दर्ज कर सकता है ? विवेचना कीजिए।

Explain the principles of 'most favoured nation' and 'national treatment' in the International Trade Law. Is it permissible for a WTO member state to impose different rates of (reciprocal) tariffs on other member states of WTO ? Can a member state affected by the higher tariffs file a complaint with the Dispute Settlement Body of the WTO ? Discuss.

15

- Q8.** (a) परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि (टी पी एन डब्ल्यू) 2017 पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए, परमाणु हथियारों के विकास और उपयोग से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय विधि का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

Critically examine the International Law relating to development and use of nuclear weapons with special focus on the Treaty on Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW), 2017.

20

- (b) विभिन्न प्रकार के 'आश्रय (शरण)' की विवेचना कीजिए और प्रादेशिक और बाह्य-प्रादेशिक आश्रय (शरण) के मध्य विभेद कीजिए।

Discuss the different types of 'Asylum' and make a distinction between Territorial and Extraterritorial Asylum.

15

- (c) अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे का सबसे सरल और सर्वाधिक प्रयुक्त तरीका वार्ता है, जो मध्यस्थता के विपरीत, किसी तीसरे पक्षकार को सम्मिलित नहीं करता है। इन तरीकों में से कौन-सा अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे के लिए उत्तम है, विवेचना कीजिए।

The simplest and most utilized mode of settlement of international dispute is negotiations, which does not involve a third party, unlike mediation. Discuss which of these modes is best suited for settlement of international disputes.

15